न्यायालयअतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 806/2025

गणपतराम पुत्र डूंगरराम व अन्य
बनाम
इन्द्रा पत्नी पपुराम वगैरा

दिनांक 02.06.2026

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी पीपाड शहर (जोधपुर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन प्रार्थना पत्र संख्या 295/2025 में पारित आदेश दिनांक 29.09.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 व 2–प्रार्थीया–इन्द्रा वगैरा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसील पीपाड शहर के ग्राम जसपाली स्थित खसरा नम्बर 315, 316, 317, 318, 319, 343, 351, 360 व 361 कुल खसरा 09 कुल रकबा 8.44.26 हैक्टर कृषि भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी करवाने का आग्रह किया गया। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट–गणपतराम वगैरा ने राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र मय श0प0 प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

वकील अपीलांट श्री जगदीश प्रजापत, रेस्पो0सं0 1 व 2 के अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई एवं रेस्पो0सं0 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि ग्राम जसपाली में ख0नं0 697 रकबा 77.15 बीघा गै0मु0 मगरा है, जो अपीलांट की

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

खातेदारी भूमि के पास आयी हुई है तथा अपीलांट के आने–जाने के लिए ख0नं0 697 में से कदीमी रास्ता स्थित है। ख0न0 697 पर आज तक किसी ने काश्त नही की है। रेस्पो0सं0 1 व 2–प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया कि ग्राम जसपाली स्थित खसरा नम्बर 315, 316, 317, 318, 319, 343, 351, 360 व 361 की भूमि का दिनांक 08.04.25 को ऑनलाईन सीमांकन अनुसार दीवार/तारबंदी करने में पडौसी खातेदार बाधा पहुंचा रहे है। अतः रेस्पो–प्रार्थी के खसरान का पुनः सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का आदेश फरमावे। उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलांट एवं अन्य पडौसी खातेदारों को पक्षकार नही बनाया जाने से उन्हें नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही मिला। आलौच्य प्रकरण में निर्णय से पूर्व कब्जे की जांच नही की गई। संवत् 2044–47 व 2048–51 की जमाबंदीयों में ख0नं0 697 की सरकारी पडत भूमि में ना0क0सं0 506, 507 एवं 510 के अनुसार खातेदारी दी गई, लेकिन मौके पर किसी का कब्जा काश्त नही रहा। जमाबंदी 2052 में ख0नं0 697 के मीन खसरान दर्ज हुए, तब तक किसी का कब्जा नही रहा तथा ना ही नक्शा ट्रेस एवं मौके पर अलग–अलग भूमियां दर्ज की गई, संपूर्ण खसरा एक ही चक था। ऑनलाईन तरमीम में जमाबंदी के अनुसार दर्ज रकबे से मिन खसरों की गलत तरमीम कर दी गई। रेस्पो0–प्रार्थी ने पूर्व के दर्ज खातेदारों से वर्ष 2005 में वादग्रस्त खसरान की भूमि खरीद कर अपने नाम दर्ज करवायी गई है। जिसका मौके पर कब्जा नही हो सका व ऑनलाईन गलत तरमीम के फायदे की नियत से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जल्दबाजी में बिना जांच किए विधिविरूद्ध आदेश पारित कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पो0–प्रार्थी मौके पर कब्जे की फिराक में है। इससे आपसी विवाद बढने एवं अपूर्णीय क्षति की संभावना है। अतः अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0 के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि आलौच्य प्रकरण में रेस्पो0सं0 3–अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़शहर का जबाव प्रस्तुत हुआ। जिसमें वादग्रस्त खसरान की भूमि राजस्व अभिलेख अनुसार

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

स्वीकार्य होने तथा प्रार्थीगणों द्वारा वादग्रस्त खसरान की भूमियों का प्रमाणित नक्शा उपलब्ध करवाने पर सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की जा सकती है, का उल्लेख किया गया। वादग्रस्त भूमि रेस्पो0–प्रार्थी की खातेदारी व कब्जाशुदा भूमि है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने यथावत रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 3 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया गया। प्रकट तथ्यों के आधार पर आलौच्य प्रकरण में वादग्रस्त खसरान के पडौसी खातेदारान को पक्षकार नही बनाये जाने से उन्हें जवाब एवं सुनवाई का अवसर नही मिला। अपीलांट का यह भी कथन है कि वादग्रस्त खसरान की भूमि कब्जा काश्त नही है। स्वयं तहसीलदार पीपाडशहर के पत्रांक 6324 दिनांक 08.09.25 द्वारा प्रेषित जवाब के बिन्दु सं0 2 में दिनांक 8.4.25 को ऑनलाईन सीमांकन को प्रार्थीणों से संबंधित होना बताते हुए वादग्रस्त खसरान का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी प्रार्थीगणों द्वारा प्रमाणित नक्शा उपलब्ध करवाने पर किया जा सकता है, का उल्लेख किया गया है, जिसका विवेचन अपीलाधीन आदेश में नही किया गया है। इस स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, उपखण्ड अधिकारी पीपाड शहर (जोधपुर) द्वारा राजस्व आवेदन प्रार्थना पत्र संख्या 295/2025 अनवान इन्द्रा वगैरा बनाम तहसीलदार पीपाडशहर में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.09.2025 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादग्रस्त खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट एवं रेस्पो0 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर, उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात,

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

तहसीलदार पीपाडशहर की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 2-6-26. को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

2/6/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर